प्रेस विज्ञप्ति
20/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आँचलिक कार्यालय ने आरिफ अली अमजद अली खान और अन्य के खिलाफ जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने **खैर की लकड़ी** की अवैध तस्करी के मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सूरत वन प्रभाग, सूरत के मांडवी दक्षिण रेंज के रेंज वन अधिकारी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

मुख्य आरोपों में यह शामिल है कि आरोपी मुस्ताक आदम तसिया, मो. ताहिर अहमद हुसैन और अन्य गुजरात के विभिन्न जिलों जैसे व्यारा, तापी, सूरत, वलसाड, नवसारी और नर्मदा में वन अधिकारियों की अनुमति के बिना वन्यजीव अभयारण्यों से खैर के पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल थे, उन्हें राज्य की सीमाओं के पार ले जाकर बेचते थे, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचा और अपराध की आय अर्जित की।

तलाशी के दौरान 30 लाख रुपये की अघोषित नकदी, विभिन्न डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।